(3)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ – 226 027

संख्याः जी–4073/2020/सा–1–48/जी०एस०/2020

दिनांक ०५ दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राजभवन, उत्तर प्रदेश में प्रवेश हेतु वर्तमान में 17 प्रवेश द्वार संचालित हैं। इन प्रवेश द्वारों के संचालन हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है:–

प्रवेश द्वार संख्या – 01

1. यह वी.वी.आई.पी. प्रवेश द्वार है।
2. सामान्य दशा में इस प्रवेश द्वार से मा0 राष्ट्रपति, मा0 उपराष्ट्रपति, मा0 प्रधानमंत्री, मा0 श्री राज्यपाल उ.प्र. व मा0 भारत के मुख्य न्यायाधीश का आवागमन अनुमन्य होगा।
3. राजभवन में समय–समय पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम (जैसे 15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस", 26 जनवरी "गणतन्त्र दिवस", शपथ ग्रहण एवं अन्य समारोह) में तथा अन्य परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों के आदेश पर इस प्रवेश द्वार का प्रयोग किया जायेगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रवेश द्वार बन्द रहेगा ।

प्रवेश द्वार संख्या – 02

1. यह वी.आई.पी. प्रवेश द्वार है।
2. प्रवेश द्वार–02 से मा0 श्री राज्यपाल के परिवारजन तथा समूह "क" के अधिकारीगण का आवागमन अनुमन्य होगा। समूह "क" के अधिकारीगण के वाहन गेट नम्बर–7ए से बाहर पार्क किये जायेंगे।
3. प्रवेश द्वार–02 से मा0 श्री राज्यपाल के मुलाकातीगण तथा मुख्य भवन में बैठने वाले समूह "क" के अधिकारीगण के मुलाकातीगण एवं राजभवन में आहूत बैठकों में आमंत्रित महानुभावों का भी प्रवेश अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के महानुभावों के वाहन की पार्किंग जी.एस. आवास के पास की जायेगी।
4. राजभवन में स्थित अन्य विभागों के अधिकारियों के कार्यालयों के वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी प्रवेश द्वार–2 से प्रवेश अनुमन्य होगा।
5. राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित महानुभावों को निमंत्रण पत्र पर अंकित नाम के आधार पर अधिकृत व्यक्तियों को भी प्रवेश द्वार–2 से प्रवेश अनुमन्य होगा।
6. प्रवेश द्वार संख्या 02 से वाहन द्वारा अधिकृत महानुभावों जिसके बारे में पूर्व सूचना है, को एण्टी सेबोटाज चेकिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. प्रवेश द्वार संख्या 02 के बाहर आगन्तुकों के आने पर जानकारी करने हेतु प्रवेश द्वार के बाहर जाकर सत्यापित करने के पश्चात प्रवेश द्वार संख्या 02 खुलवाया जायेगा।
8. प्रवेश द्वार संख्या 02 से अधिकृत महानुभाव व वाहन को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई अन्य व्यक्ति व अन्य वाहन इस गेट से प्रवेश न कर सके।
9. प्रवेश द्वार संख्या 02 से आने–जाने का पूर्ण विवरण आवागमन पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।
10. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 02 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा, तथा रात्रि में 22.00 बजे निरीक्षक (कमाण्ड) के संज्ञान में लाते हुए पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 03

1. राजभवन स्थित गेट संख्या 03 से माननीय श्री राज्यपाल महोदय से निर्धारित मुलाकात, अन्य उच्चाधिकारियों से निर्धारित मुलाकात, अन्य राजकीय कार्यो से आने वाले आगन्तुकों को स्वागत कक्ष तक जाने के लिए प्रवेश दिया जाता है, जहाँ से निर्धारित पास प्राप्त करने के उपरान्त अन्दर प्रवेश दिया जायेगा। राजभवन में आयोजित होने वाले विभिन्न समोरोह के समय सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था में नियुक्त पुलिस एवं यातायात कर्मियों के विभागीय फोटो पहचान पत्र/ड्यूटी कार्ड चेक करने के उपरान्त इस गेट से प्रवेश दिया जायेगा।
2. राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित महानुभावों के निमंत्रण पत्र चेक करने के उपरान्त जो अपने वाहन से नही आते है इस गेट से प्रवेश दिया जायेगा।
3. इस गेट से आने–जाने वाले आगन्तुको का नाम व पता आवागमन पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।
4. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 03 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे निरीक्षक (कमाण्ड) के संज्ञान में लाते हुए पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 04/05

1. यह आवासीय परिसर के गेट है जिन पर भी सुरक्षा कर्मी नियुक्त रहते है। पूर्व में दी गयी सूचना के आधार पर या दूरभाष द्वारा दिये गये/बताई गई सूचना के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति के आवास पर जाने हेतु प्रवेश दिया जायेगा।
2. आवासीय परिसर में प्रवेश करने वालों के पहचान पत्र चेक करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 04/05 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06. 00 बजे खोला जायेगा, तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 06

1. गेट संख्या 06 से समस्त चिकित्सालयों के चिकित्सक/कर्मचारीगण एवं सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत)/कर्मचारीगण, एवं प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक/बच्चे, आवासित परिसर के कर्मचारीगण व सुरक्षा कर्मियों को प्रवेश पत्र के आधार पर मय वाहन प्रवेश दिया जा सकेगा तथा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारीगण अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग में ही खडा करेगे। साथ ही साथ आवासित परिसर के कर्मचारीगण के आवास पर मय वाहन/पैदल आने वाले आगन्तुको की सूचना सम्बंधित कर्मी द्वारा पूर्व में दी जायेगी जिसके आधार पर परिचय पत्र आदि चेक कर प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. इस गेट से आवासीय परिसर में प्रवेश करने वालों के प्रवेश पत्र चेक करने के उपरान्त नियमानुसार मय वाहन प्रवेश दिया जायेगा।
3. इस गेट से राजभवन में आवासित अधिकारियों/कर्मचारियों/अस्पताल/सिविल एवं विद्युत कर्मियों के साथ उनके परिजनों, मित्रों आगन्तुकों को निर्धारित सूचना के आधार पर प्रवेश देने के साथ–साथ ही उनका विवरण आवागमन पुस्तिका में अंकित समस्त कालमों में प्रविष्टियों अंकित कर उनके हस्ताक्षर के बाद प्रवेश दिया जायेगा।
4. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 06 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा, तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 07

1. गेट संख्या 07 का इस्तेमाल विशेष परिस्थिति केवल पी.ए.सी. कम्पनी(के1) परिवर्तन के दौरान ही प्रयोग में लाया जायेगा। इसके अलावा इस गेट से प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित है। यह सदैव बन्द रहेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 07ए

1. इस प्रवेश द्वार से राजभवन के गेट नम्बर–7ए के बाहर आवासित अधिकारी/ कर्मचारीगण एवं स्थापित कार्यालयों/अस्पताल के अधिकारी/कर्मचारी जिनके पास निर्धारित प्रवेश पत्र हो वे मुख्य भवन के तरफ आवागमन कर सकेगे।
2. राजभवन में तैनात/कार्यरत समूह–क एवं समूह–ख के अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी श्रेणी के कर्मियों को प्रवेश पत्र चेक करने के पश्चात ही इस गेट से प्रवेश दिया जायेगा तथा उनका आवागमन पुस्तिका में नाम व पता अंकित किया जायेगा।
3. राजभवन में नियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति/ सुरक्षाकर्मी को बिना मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ड्यूटी कमाण्ड के अनुमति के बिना प्रवेश नही दिया जायेगा।
4. राजभवन सुरक्षा में नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर आते समय उनके परिचय पत्र चेक कर प्रवेश दिया जा सकेगा।
5. राजभवन के ऐसे अधिकारी जो प्रवेश द्वार–02 से आवागमन हेतु प्राधिकृत है वे समस्त अधिकारी ही प्रवेश द्वार संख्याः 7ए से मय वाहन आवागमन हेतु अधिकृत होगे।
6. माननीय राज्यपाल महोदया के फ्लीट के वाहनों के आवागमन हेतु इस गेट को खोला जायेगा।
7. माननीय राज्यपाल महोदया/माननीय महोदया के आगन्तुकगण के आगमन/प्रस्थान हेतु यदि वाहन की आवश्यकता होती है तो गेट नं. 07ए से वाहन आवागमन हेतु गेट को खोला जायेगा।
8. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 07ए ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 08

1. गेट संख्या–08 से समूह "ख" "ग" एवं "घ" के अधिकारी/कर्मचारीगणो द्वारा प्रयोग किया जायेगा।
2. राजभवन में आने वाले अन्य अधिकृत आगन्तुकगण को भी इस प्रवेश द्वार से आगन्तुक पुस्तिका में नाम व पता एवं आने–जाने का सनय अंकित करते हुए प्रवेश दिया जा सकेगा।
3. गेट संख्या–08 से समूह "ख" "ग" एवं "घ" के अधिकारी/कर्मचारीगण प्रवेश करने के उपरान्त अपने वाहन को पोस्ट ऑफिस की तरफ पार्क करेंगे।
4. राजभवन में कार्य करने वाले ठेकेदारो/श्रमिकों जिनका प्रवेश पत्र बना है, उनके आवागमन का विवरण आगन्तुक पुस्तिका में अंकित कर हस्ताक्षर कराने के उपरान्त नियमानुसार फ्रिस्किंग एवं चेकिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त श्रमिक इसी गेट से बाहर भी जायेंगे।
5. राजभवन परिसर में डाक घर की तरफ आवासित कर्मचारियों एवं उनके आवास पर आने वाले मित्रों/रिश्तेदारों/आगन्तुको की सूचना सम्बंधित कर्मी द्वारा पूर्व में दी जायेगी जिसके आधार पर परिचय पत्र आदि चेक कर प्रवेश दिया जा सकेगा एवं आवागमन का पूर्ण विवरण आगन्तुक पुस्तिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
6. पोस्ट आफिस में नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो को प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश पत्र के आधार पर सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार फ्रिस्किग व चेकिंग के पश्चात प्रवेश दिया जायेगा।

7. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 08 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 09

1. प्रवेश द्वार संख्याः 09 से राजभवन सचिवालय में कार्यरत पैदल व मोटर साइकिल से आने वाले समस्त अधिकारियो/कर्मचारियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनके आवागमन का पूर्ण विवरण नाम पता/वाहन नम्बर/मोबाइल नम्बर/समय का अंकन किया जायेगा।
2. राज्यपाल सचिवालय में आने वाले आगन्तुकों को प्राप्त सूचना के आधार पर आवागमन पुस्तिका में उनका नाम/पता/मोबाइल नम्बर/समय का अंकन किया जायेगा।
3. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 08 ग्रीष्मकालीन में प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन में प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 18.30 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त प्रवेश द्वार संख्या 8 से ही आवागमन किया जा सकेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 09ए

1. गेट संख्या 9ए से राज्यपाल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियो/राजभवन कर्मियों को प्रवेश पत्र चेक करने के उपरान्त प्रवेश दिया जायेगा।
2. इस गेट से किसी भी आगन्तुक एवं अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा।
3. यह प्रवेश द्वार केवल राज्यपाल सचिवालय के संचालन के समय ही खोला जायेगा तथा राज्यपाल सचिवालय के बन्द होने के दौरान इस गेट का ताला बन्द रखा जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 10

1. इस गेट को विशेष परिस्थितियों को छोडकर सदैव बन्द रखा जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 11

1. इस गेट का प्रयोग राजभवन में नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, राजभवन डाकघर स्थित पोस्टमैन के द्वारा किया जायेगा है, इसके अतिरिक्त बिना अनुमति के अन्य किसी व्यक्ति/कर्मी/सुरक्षा कर्मी को प्रवेश नही दिया जायेगा।
2. इस प्रवेश द्वार से केवल राजभवन के अधिकृत वाहन प्रवेश करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा, तथा आने वाले वाहन का विवरण आगन्तुक पुस्तिका में अंकन किया जायेगा।
3. राजभवन में कार्य करने वाले श्रमिकों जिनका प्रवेश पत्र बना है, उनके आवागमन का विवरण आगन्तुक पुस्तिका में अंकित कर हस्ताक्षर कराने के उपरान्त नियमानुसार फ्रिस्किंग एवं चेकिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जायेगा एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त श्रमिक इसी गेट से बाहर भी जायेंगे।
4. यथा आवश्यकता मा0 मुख्यमंत्री द्वारा राजभवन आवागमन पर इस गेट का प्रयोग किया जा सकेगा।
5. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 11 ग्रीष्मकाल प्रातः 05.00 बजे व शीतकाल प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 13

1. इस गेट का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जायेगा।

2. मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के बाह्य भ्रमण पर हेलीकाप्टर की लैण्डिंग/टेकऑफ के समय फायर टेण्डर, फायर ब्रिगेड का वाहन हेलीपैड तक लाने एवं गौशाला में पशुओ हेतु चारा आदि लाने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी/प्रभारी ड्यूटी निरीक्षक (कमाण्ड) से अनुमति प्राप्त कर इस गेट का प्रयोग किया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 13ए

1. यह इनर कार्डन का गेट होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। इस पर पैदल ही आवागमन किया जायेगा।
2. इसका इस्तेमाल सुरक्षाकर्मी/उद्यान कर्मी/राजभवन कर्मी एवं अन्य राजभवन कर्मियों द्वारा ही प्रयोग में लाया जायेगा।
3. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 13ए ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश द्वार संख्या – 14

1. प्रवेश द्वार संख्याः 14 से राजभवन, गुलमोहर स्थित आवासीय परिसर में आवासित कर्मियों एवं उनके परिजनों का आवागमन किया जायेगा, जिनके आवागमन का रिकार्ड आवागमन रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। साथ ही साथ आवासित परिसर के कर्मचारीगण के आवास पर आने वाले आगन्तुको की सूचना सम्बंधित कर्मी द्वारा पूर्व में दी जायेगी जिसके आधार पर परिचय पत्र आदि चेक कर प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. इस गेट का इस्तेमाल राजभवन सुरक्षा में लगी पी.ए.सी. कम्पनी(के2) कर्मियों द्वारा किया जोयगा।
3. इस गेट से पी.ए.सी. के उच्चाधिकारियों का भी आवागमन होता है, जो बैरक (के2) आवासित दल के निरीक्षण हेतु राजभवन आते है।
4. विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त इस प्रवेश द्वार पर रात्रि 2200 बजे ताले पट्टे बन्द होगें यदि किसी कार्यवश इसका प्रयोग करना हो तो इसकी सूचना मुख्य सुरक्षा अधिकारी, प्रभारी ड्यूटी निरीक्षक(कमाण्ड) एवं सम्बन्धित गेट को पूर्व में करनी होगी।
5. सामान्य दशा में राजभवन के प्रवेश द्वार संख्या 14 ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

बैरक जाली गेट

1. यह राजभवन का इनर कार्डन का गेट होने के कारण अति महत्वपूर्ण है।
2. इस गेट का प्रयोग केवल राजभवन कर्मी/सुरक्षा कर्मी ही करेंगे।

गुलमोहर

1. इस गेट का प्रयोग केवल राजभवन के सुरक्षा कर्मी एवं राजभवन गुलमोहर कालोनी में आवासित कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।
2. सामान्य दशा में गुलमोहर कालोनी का गेट ग्रीष्मकालीन प्रातः 05.00 बजे व शीतकालीन प्रातः 06.00 बजे खोला जायेगा तथा रात्रि में 22.00 बजे पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा।

विविध

1. मा0 राज्यपाल के आदेश पर मा0 राज्यपाल की सुविधानुसार किसी भी प्रवेश द्वार से किसी भी समय मा0 राज्यपाल या उनके परिवारजनों का आवागमन अनुमन्य होगा।

2. राजभवन परिसर के सम्पूर्ण चेकिंग के उपरान्त यह सुनिश्चित कर ले कि कोई भी व्यक्ति या अनाधिकृत वाहन परिसर में नही हैं, उसके पश्चात परिसर के समस्त प्रवेश द्वारों को समय रात्रि 22.00 बजे बन्द करा दिये जायेंगे एवं जिन प्रवेश द्वारों पर ताले/पट्टे लगाये जाते है उन पर ताले/पट्टे नियमानुसार लगवा कर बन्द करायेंगे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित समय के उपरान्त अपने आवासित परिसर के गेट से आवागमन करना है तो इसकी सूचना पूर्व में मुख्य सुरक्षा अधिकारी/प्रभारी ड्यूटी निरीक्षक(कमाण्ड) एवं सम्बन्धित गेट को देनी होगी।

3. राजभवन परिसर सुरक्षा हेतु नियुक्त मुख्य सुरक्षा अधिकारी/प्रभारी ड्यूटी निरीक्षक (कमाण्ड) राजभवन किसी भी समय किसी भी गेट से सुरक्षा ड्यूटी चेकिंग हेतु आवागमन के लिए अधिकृत होंगे।

4. राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम यथा 26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), शपथ ग्रहण समारोह एवं पुष्प प्रदर्शनी तथा माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित कोई अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित होता है तो राजभवन के उच्चाधिकारियों के निदेशानुसार गेट को खोलने व बन्द करने के समय का निर्धारण कर गेट संख्या 01 या 02 का प्रयोग किया जा सकेगा।

5. विशेष परिस्थितियों में यथा कोविड इत्यादि की स्थिति में राजभवन में विभिन्न प्रवेश द्वारों के संचालन के बारे में उपरोक्त व्यवस्था को अस्थायी रूप से संशोधित किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से यथा आवष्यक आदेष जारी किया जायेगा।

6. सामान्यतः उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा किन्तु दिन प्रतिदिन की विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले स्थिति के दृष्टिगत मुख्य सुरक्षा अधिकारी, राजभवन के निर्देश पर किसी भी प्रवेश द्वार को संचालित किया जा सकेगा।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राजभवन में तैनात सभी अधिकारीगण।
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी को इस आशय से कि अधीनस्थ सभी सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० को श्री राज्यपाल के अवलोकनार्थ प्रेषित। ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० को अपर मुख्य सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा सें,

(बद्री नाथ सिंह)
विषेश सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।